उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 5 | अंक 8 | 16-30 अप्रैल 2022 | ₹ 20/-

आजादी के लिए संघर्षरत बलूचों के निशाने पर चीनी

- उत्तर प्रदेश में 12 स्थानों के नाम बदलने की तैयारी
- स्वीडन में कुरान की तौहीन पर हंगामा
- सऊदी अरब द्वारा हज हेतु कोटे की घोषणा
- उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के मामले में 26 गिरफ्तार

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

* अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

उत्तर प्रदेश के 12 स्थानों के नाम बदलने की तैयारी 04
समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रस्ताव 06
रामनवमी जुलूस पर कई राज्यों में पथराव और हिंसा 08
सीबीएसई के पाठ्यक्रम से इस्लामिक और मुगल इतिहास बाहर 12
भारतीयों के लिए हज का कोटा 13

विश्व

आजादी के लिए संघर्षरत बलूचों के निशाने पर चीनी 15
स्वीडन में कुरान की तौहीन पर हंगामा 19
फ्रांस में इमैनुएल मैक्रों पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित 20
अफगानिस्तान में धमाकों से सैकड़ों निर्दोषों की हत्या 22
अफगानिस्तान में पाकिस्तान का ड्रोन हमला 23

पश्चिम एशिया

सऊदी अरब द्वारा हज के कोटे की घोषणा 24
सऊदी अरब और ईरान के बीच पुनः वार्ता की शुरुआत 25
काबा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी 26
सूडान में अरबों और ईसाईयों में खूनी झड़पें 26
यमन की नई सरकार ने विश्वासमत हासिल किया 27
मस्जिद अल-अक्सा में इजरायली सेना और अरबों के बीच झड़पें 27

अन्य

उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के मामले में 26 गिरफ्तार 29
सऊदी अरब में सिनेमा लोकप्रिय 29
बेंगलुरु सेंट्रल जेल में इफ्तारी का प्रबंध 30
बांग्लादेश में छात्रों और व्यापारियों में झड़प 30
काबा में दुनिया का सबसे बड़ा साउंड सिस्टम 30

सारांश

रामनवमी के अवसर पर देश के अनेक राज्यों में जो सांप्रदायिक हिंसा हुई है उसका तरीका एक जैसा ही था। इससे साफ है कि यह हिंसा पूर्वनियोजित थी। पुलिस का दावा है कि इन घटनाओं के पीछे कुख्यात अतिवादी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उससे जुड़ी हुई संस्थाओं का हाथ है। बड़ी अजीब बात है कि देश के मुस्लिम संगठन और उर्दू समाचारपत्र इस हिंसा की निंदा करने की बजाय भाजपा और संघ परिवार को अपना निशाना बना रहे हैं। किसी भी समाचारपत्र ने देश में तेजी से उभर रहे इस्लामिक उग्रवाद की चर्चा तक करने की जरूरत नहीं समझी।

सऊदी अरब सरकार ने इस वर्ष के लिए हज कोटे की घोषणा कर दी है। इस घोषणा के अनुसार इस वर्ष 80 हजार के लगभग भारतीय हज यात्रा कर सकेंगे। आमतौर पर भारत के हज यात्रियों का कोटा सवा दो लाख के करीब होता है। वैसे भी सऊदी अरब ने गत दो वर्षों से विदेशी हज यात्रियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। वहां की सरकार ने हज का कोटा 25 लाख से घटाकर 10 लाख कर दिया है। इसका प्रभाव भारत के कोटे पर भी पड़ा है।

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के 12 जिलों का नाम बदलने पर विचार कर रही है। इस संबंध में अधिसूचना का प्रारूप तैयार किया जा चुका है। राज्य के विभिन्न जिलों की पंचायतें और निर्वाचित प्रतिनिधि इस बात पर जोर दे रहे हैं कि नगरों और जिलों के उन प्राचीन नामों को पुन: प्रचलित किया जाए, जिन्हें विदेशी आक्रांताओं ने जबरन बदल दिया था। विदेशी गुलामी के इन अवशेषों को जितनी जल्दी मिटाया जाए उतना ही बेहतर होगा। उत्तर प्रदेश में अभी तक जो भी सरकारें गत दो दशक में सत्ता में आई हैं व नगरों के नाम बदलती रही हैं। मायावती ने अपने शासनकाल में कई नगरों के नाम बदले थे, जिन्हें अखिलेश यादव ने सत्ता में आने के बाद रद्द कर दिया, मगर नाम बदलने का सिलसिला उन्होंने भी जारी रखा। योगी सरकार ने भी अपने पहले शासनकाल में दो नगरों के नाम बदले थे।

पाकिस्तान में दिन-प्रतिदिन असंतोष तेजी से बढ़ रहा है। बलूचों और पश्तूनों ने पंजाबियों के वर्चस्व के खिलाफ शस्त्र उठा लिए हैं। हाल ही में एक आत्मघाती बलूच महिला शारी बलूच ने कराची विश्वविद्यालय परिसर में तीन चीनी नागरिकों को आत्मघाती धमाके से उड़ा दिया। खास बात यह है कि यह महिला उच्च शिक्षा प्राप्त थी और बलूच समाज के प्रबुद्ध और संपन्न वर्ग से संबंधित थी। इस आत्मघाती हमले की जिम्मेवारी बलूच लिब्रेशन आर्मी ने ली है। इन दिनों पाकिस्तान में चीनियों के बढ़ते हुए वर्चस्व के खिलाफ जनाक्रोश तेजी से बढ़ रहा है। गत वर्ष चार आतंकी घटनाओं में दो दर्जन से अधिक चीनी नागरिक मारे गए हैं। बलूचों को यह शिकायत है कि उनके प्राकृतिक संसाधनों को पंजाबी और चीनी मिलकर लूटना चाहते हैं। यही कारण है कि आजाद बलूचिस्तान की मांग दिन-प्रतिदिन तीव्र होती जा रही है। इसको कुचलने के लिए पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां अब तक सैकडों बलूच युवकों का अपहरण कर चुकी ह और बाद में उनके शव सड़कों पर फेंक दिए गए।

अफगानिस्तान में शियाओं और सुन्नियों के खूनी संघर्ष ने भीषण रूप ले लिया है। अभी तक सुन्नी आतंकी संगठन चुन-चुनकर शियाओं के खून की होली खेल रहे थे। अब शियाओं ने भी इस हिंसा का जवाब देना शुरू कर दिया है। गत एक सप्ताह के भीतर अफगानिस्तान में हुए विभिन्न विस्फोटों में सौ से अधिक लोग मारे गए हैं, जिनमें 50 से ज्यादा किशोर छात्र हैं।

राष्ट्रीय

उत्तर प्रदेश के 12 स्थानों के नाम बदलने की तैयारी

अवधनामा (19 अप्रैल) के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब राज्य के बारह जिलों और नगरों के नाम बदलने की तैयारी कर रहे हैं। इससे पूर्व भी वे कई जिलों के नाम बदल चुके हैं। अब जिन जिलों के नाम बदलने की तैयारी हो रही है उनमें अलीगढ़, संभल, फर्रुखाबाद, सुल्तानपुर, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, आगरा, मैनपुरी, गाजीपुर, देवबंद, रसूलाबाद और सिकंदराबाद शामिल हैं। अधिकृत सूत्रों के अनुसार इस संबंध में अधिसूचना का प्रारूप तैयार किया जा चुका है। शीघ्र ही इसे मंत्रिमंडल में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा और वहां से मंजूरी मिलते ही इसे उत्तर प्रदेश विधान सभा के बजट अधिवेशन में पेश किए जाने की संभावना है। विधान सभा से हरी झंडी मिलते ही इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भेजा जाता है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार नाम परिवर्तन की अधिसूचना जारी करती है।

मुख्यमंत्री के निकटवर्ती सूत्रों के अनुसार सरकार जिन जिलों और शहरों के नाम बदलने और उनके स्थान पर नया नाम रखने पर विचार कर रही है उनमें अलीगढ़ का नाम आर्यगढ़, संभल का नाम पृथ्वीराज नगर, फर्रुखाबाद का नाम पांचाल नगर, सुल्तानपुर का नाम कुशभवनपुर, फिरोजाबाद का नाम चंद्र नगर, आगरा का नाम अग्रवन, मैनपुरी का नाम मयानपुरी, गाजीपुर का नाम गढ़ीपुरी, देवबंद का नाम देववृंदपुर, रसूलाबाद का नाम देवगढ़ और सिकंदराबाद का नाम आदर्श नगर रखे जाने की चर्चा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि विदेशी आक्रांताओं ने जिन प्राचीन नामों को बदल दिया था उनका पुराना नाम बहाल किया जाना जरूरी है। अपने पिछले कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ ने कुछ स्थानों के नाम बदले थे। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया था। फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या रखा गया और मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रखा गया। इसके अतिरिक्त

गोरखपुर के उर्दू बाजार का नाम हिंदी बाजार, हुमायूंपुर का नाम हनुमान नगर, मीना बाजार का नाम माया बाजार और अलीनगर का नाम आर्यनगर रखा गया था।

समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी नाम बदलने में पीछे नहीं हैं। 2007 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मायावती ने लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर छत्रपति शाहूजी महाराज मेडिकल कॉलेज कर दिया था। संभल को भीम नगर, शामली को प्रबुद्ध नगर और हापुड़ को पंचशील नगर कर दिया था। 2012 में जब अखिलेश यादव सत्ता में आए तो उन्होंने पुराने नामों को फिर से बहाल कर दिया। 2012 से 2022 के बीच 11 जिलों के नाम बदले गए, जिनमें 9 अखिलेश यादव और 2 योगी आदित्यनाथ ने बदले।

जानकारी के अनुसार फिलहाल छह जिलों के नाम बदलकर इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। जिन जिलों के नाम बदलने की मांग की गई है उनमें अलीगढ़ को हरिगढ़ या आर्यगढ़, फर्रुखाबाद को पांचाल नगर, सुल्तानपुर को कुशभवनपुर, बदायूं को वेदामऊ, फिरोजाबाद को चंद्र नगर और शाहजहांपुर को शाजीपुर का नाम दिए जाने की चर्चा है। छह जिले ऐसे हैं जिन पर सहमति बन चुकी है। जबकि अन्य आठ जिलों के नाम बदलने के लिए ठोस ऐतिहासिक प्रमाणों की खोज की जा रही है ताकि उसे विधान सभा के अगले अधिवेशन में पेश किया जा सके। अलीगढ की जिला पंचायत एक प्रस्ताव पारित करके इस जिले का नाम हरिगढ़ रखने का समर्थन कर चुकी है और यह प्रस्ताव अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है। अलीगढ़ का नाम बदलने की मांग 2015 में विश्व हिंदू परिषद ने उठाई थी। उन्होंने इसका नाम हरिगढ़ रखने की मांग की थी। 6 अगस्त 2021 को पंचायत कमेटी ने अपनी बैठक में इसका नाम हरिगढ़ रखने का प्रस्ताव पारित किया था। फर्रुखाबाद से भाजपा सांसद मुकेश राजपूत फर्रुखाबाद का नाम पांचाल नगर रखने की मांग कर चुके हैं। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखकर कहा है कि इस स्थान का मूल नाम पांचाल नगर था और यह द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के पांचाल राज्य की राजधानी थी। सुल्तानपुर के लंभुआ सीट से भाजपा विधायक देवमणि द्विवेदी भी सुल्तानपुर का नाम कुशभवनपुर रखने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज चुके हैं। उनका दावा है कि सुल्तानपुर का मूल नाम कुशभवन है और इसकी स्थापना भगवान श्रीराम के पुत्र कुश ने की थी।

इस्लामी संस्कृति के एक अन्य गढ़ बदायूं का नाम बदलने की भी चर्चा गर्म है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवंबर 2021 के एक समारोह में इसका संकेत भी दिया था। उन्होंने कहा था कि बदायूं प्राचीन काल में वेदों के अध्ययन का केंद्र था। इस कारण से प्राचीन काल में इसका नाम वेदमाऊ था। फिरोजाबाद का नाम फिरोजशाह तुगलक ने रखा था। इसका मूल नाम जिला पंचायत ने अगस्त 2021 में चंद्र नगर रखने की मांग की थी। यह प्रस्ताव भी राज्य सरकार के विचाराधीन है। शाहजहांपुर के विधायक मानवेंद्र सिंह भी इसका नाम भामाशाह नगर रखने की मांग कर चुके हैं। मैनपुरी जिला पंचायत ने इसका नया नाम मयानपुरी रखने की मांग राज्य सरकार से की थी। इस्लामी संस्कृति के एक अन्य प्रमुख केंद्र संभल का नाम कल्कि नगर या पृथ्वीराज नगर रखने की मांग उठ रही है। बताया जाता है कि संभल का नाम बाबर ने बदला था। उसने यहां के ऐतिहासिक मंदिर हरिहर मंदिर को एक मस्जिद में भी परिवर्तित किया था। दारूल उलूम देवबंद के लिए विख्यात देवबंद का नाम देववृंदपुर रखने की मांग वहां के भाजपा विधायक ब्रजेश सिंह रावत ने की है। कहा जाता है कि पहले इस नगर का नाम वहां पर स्थित त्रिपुर सुंदरी मंदिर के कारण देववन था, जिसे आक्रांताओं ने बदलकर देवबंद कर दिया था। भाजपा नेता स्वर्गीय कृष्णानंद राय की पत्नी

अलका राय गाजीपुर का नाम गढ़ीपुर रखने की मांग कर रही हैं। कानपुर देहात के कस्बा रसूलाबाद, सिकंदराबाद और अकबरपुर-रानिया के नाम बदलने के प्रस्ताव पर भी प्रशासन को विचार करने के लिए कहा गया है।

आगरा कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर अरूणोदय वाजपेयी का कहना है कि नाम बदलने से आम आदमी को क्या लाभ होगा? सरकार को रोजी-रोटी की चिंता करनो चाहिए। आगरा का नाम बदलने की बजाय वहां पर मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि वहां पर विश्व भर के पर्यटक ताजमहल को देखने के लिए आते हैं। इसी तरह से आगरा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर अंबेडकर विश्वविद्यालय तो कर दिया गया, मगर क्या विश्वविद्यालय के शिक्षा स्तर में कोई सुधार हुआ है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. अमरनाथ पासवान कहते हैं कि नाम बदलने का काम हालांकि पहले की सरकारें भी करती रही हैं, मगर वर्तमान सरकार पूरे इतिहास को तोड़-मरोड़कर अपने ढंग से पेश करना चाहती है।

समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रस्ताव

क्या केंद्र सरकार देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी कर रही है? इसके संदर्भ में दिल्ली के सियासी गलियारों में एक बार पुनः चर्चा तेज हो गई है।

सालार (24 अप्रैल) के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में भोपाल में यह इशारा किया है कि केंद्र सरकार देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गृह मंत्री अमित शाह ने कोर कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा को राम मंदिर, धारा 370, नागरिकता संशोधन कानून और तीन तलाक जैसे मुद्दों पर सफलता मिली है। इसलिए अब समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस संबंध में फिलहाल इसे उत्तराखंड में एक पायलट परियोजना की तरह लागू किया जा रहा है। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि धारा 370 हो, राम

मंदिर या और कोई मामला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमने सभी विवादित मामलों को हल कर लिया है। अब हमारा पूरा ध्यान समान नागरिक संहिता पर है। हमारा इरादा है कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेन जैसे मामले एक जैसे कानून के तहत आ जाएं। धर्म के आधार पर अलग-अलग कानून होना उचित नहीं है। आजादी से पूर्व अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग-अलग कानून लागू किए थे, जिसे 1935 के इंडिया एक्ट में शामिल किया गया था। भाजपा प्रारंभ से ही अपने चुनावी घोषणापत्रों में देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग करती आ रही है।

अवधनामा (24 अप्रैल) के अनुसार भोपाल में गृह मंत्री द्वारा समान नागरिक संहिता का मामला सार्वजनिक रूप से उठाए जाने के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी भाजपा ने समान नागरिक संहिता लागू करने की वकालत शुरू कर दी है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान में कहा है कि देश के प्रत्येक नागरिक को समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग का समर्थन करना चाहिए। यह उत्तर प्रदेश और देश की जनता के लिए जरूरी है। भाजपा इस संबंध में जनता से कई दशक से वायदा करती आ रही है। अब यह जरूरी है कि उस वायदे को कार्यान्वित किया जाए। उन्होंने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि एक देश में एक जैसे कानून होने चाहिए। यह बेहद जरूरी है। मैं समझता हूं कि विभिन्न लोगों के लिए अलग-अलग कानून की कोई आवश्यकता नहीं है और उत्तर प्रदेश में इस संबंध में उचित कदम उठाए जा रहे हैं। देश के अन्य राज्यों में जहां भाजपा की सरकारें हैं या गैर भाजपा सरकारें हैं वहां भी अगर हम सबका विकास चाहते हैं तो एक समान नागरिक संहिता जरूरी है।

केशव प्रसाद मौर्य ने व्यंग्य करते हुए कहा कि जब वोट बैंक की बात आती है तो उसके साथ ही तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो जाती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के चुनावी अभियान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे देश में एक कानून लागू करने की वकालत की थी। हालांकि इस मांग को विपक्षी दलां और मुस्लिम संगठनों ने सहयोग नहीं दिया। किंतु प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने समान नागरिक संहिता का समर्थन किया था। इससे पूर्व उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का एक प्रारूप तैयार करने के लिए राज्य सरकार एक कमेटी का गठन कर चुकी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह दावा किया है कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड होगा।

समाचारपत्र का कहना है कि हालांकि गोवा में यह पहले से ही लागू है। संविधान की धारा 44 में भी सरकार को समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश दिया गया है और सर्वोच्च न्यायालय भी इसे लागू न करने पर अपनी नाराजगी प्रकट कर चुका है। किंतु विशेषज्ञ इस बात पर विभाजित हैं कि क्या किसी राज्य सरकार को समान नागरिक संहिता लागू करने का अधिकार है? लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य ने कहा है कि कंद्र और राज्य दोनों ही ऐसा कानून ला सकते हैं। जबकि पूर्व विधि सचिव पी. के. मल्होत्रा का कहना है कि ऐसा कानून सिर्फ केंद्र सरकार ही ला सकती है। राज्य सरकारों को ऐसा कानून लाने का कोई अधिकार नहीं है।

सालार (25 अप्रैल) के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का विरोध किया है और कहा है कि न सिर्फ मुसलमान बल्कि अन्य अल्पसंख्यक भी इस तरह के कानून को लागू करने के खिलाफ हैं। अगर सरकार ने इस तरह का कोई कानून मुसलमानों पर लादने का प्रयास किया तो उसे न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि इस देश

में आदिवासियों के लिए अलग कानून मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त हिंदुओं में भी हर बिरादरी का अलग कानून है। संविधान ने हर व्यक्ति को इस बात का अधिकार दिया है कि वह अपनी संस्कृति रस्मो-रिवाज और परंपराओं का पालन कर सकता है और किसी पर कोई कानून जबरन नहीं लाद सकता। बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैयद राबे हसनी नदवी ने कहा है कि हम समान नागरिक संहिता का हर सतह पर विरोध करेंगे। क्योंकि यह धार्मिक मामला है और इसे दुनिया की कोई अदालत जबरन मुसलमानों पर नहीं लाद सकती। उन्होंने कहा कि हिजाब और शरिया इस्लाम का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह कहना गलत है कि हिजाब का इस्लाम से कोई संबंध नहीं है। बोर्ड ने इस बात की निंदा की है कि कर्नाटक में हिजाब पहनने वाली छात्राओं को परीक्षा देने से रोका जा रहा है। राज्य सरकार का यह फैसला भारतीय संविधान की धारा 25 का खुला उल्लंघन है।

गौरतलब है कि इससे पूर्व मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के निर्देश पर तीन करोड़ से अधिक लोगों के हस्ताक्षर वाला एक ज्ञापन विधि आयोग को सौंपा गया था, जिसमें समान नागरिक संहिता को अल्पसंख्यकों पर जबरन लादने का विरोध किया गया था। यह ज्ञापन विधि आयोग के पास विचाराधीन है।

रोजनामा सहारा (26 अप्रैल) के अनुसार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने

उत्तराखंड सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता लागू करने के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि इसका अनुकरण सभी राज्यों को करना चाहिए। जबकि बिहार सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि समान नागरिक संहिता को राज्य में लागू करने का कोई ईरादा नहीं है। भाजपा सांसद सुशील मोदी ने घोषणा की थी कि समान नागरिक संहिता को बिहार में लागू किया जाएगा। जबकि जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बिहार को समान नागरिक संहिता की कोई आवश्यकता नहीं है और जब तक बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है इसे किसी कीमत पर लागू नहीं किया जाएगा। हम सत्ता के लिए अपनी नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे।

रामनवमी जुलूस पर कई राज्यों में पथराव और हिंसा

समाचारपत्रों के अनुसार देश के कम-से-कम दस राज्यों में रामनवमी के जुलूस पर पथराव और हिंसा हुई। कई स्थानों पर मकानों और दकानों को लूटने के बाद आग भी लगाई गई। इन घटनाओं में कम-से-कम दो लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। विभिन्न राज्य सरकारों ने दंगाईयों की संपत्ति को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजरों का सहारा लिया। अब बुलडोजरों के इस्तेमाल का मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन ह। 'हिंदुस्तान टीवी' चैनल पर इंटरव्यू देते हुए दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम अहमद ने देश के मुसलमानों से ईद के समारोह का बहिष्कार करने की अपील भी कर डाली। उन्होंने कहा कि देश के मुसलमानों को ईद की

नमाज में तो हिस्सा लेना चाहिए क्योंकि वह उनके धार्मिक कर्तव्य का हिस्सा है, मगर देश के विभिन्न भागों में मुसलमानों का जिस तरह से उत्पीड़न हुआ है उसके प्रति विरोध प्रकट करने के लिए उन्हें ईद के त्योहार में कोई खुशी नहीं मनानी चाहिए और न ही दावत आदि देना चाहिए।

इंकलाब (30 अप्रैल) के अनुसार जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने भी जुमा की नमाज के अवसर पर नमाजियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश में नफरत और अराजकता का जो वातावरण पैदा किया जा रहा है उसके खतरनाक नतीजे होंगे। अगर इस खतरे को नहीं दबाया गया तो यह किसी भी सूरत में देश और देश की जनता क हित में नहीं होगा। हिंदुओं और मुसलमानों को मिलकर मजहबी नफरत के इस माहौल को बदलना चाहिए।

इसी समाचारपत्र ने अपने मुख्य समाचार के रूप में अमेरिका में स्थापित 'हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स' नामक संगठन के बयान को प्रमुखता से प्रकाशित किया है, जिसमें कहा गया है कि भगवा लिबास पहने हुए लोग मुसलमानों के वंशान्मुलन की अपील कर रहे हैं। भगवा लिबास में संतों और साधुओं की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रही हैं, जिसमें वे मुसलमानों के खात्मे की मांग कर रहे हैं। इस अपील में कर्नाटक में हिजाब के विवाद का भी उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि दक्षिण एशिया में धार्मिक हिंसा तभी समाप्त हो सकती है जब हम एक दूसरे के विकास और सम्मान से जीने के अधिकार के लिए एकजुट हों। हिंदुओं से अपील की गई है कि वे मुस्लिम पड़ोसियों और उनके संगठनों के साथ संबंधों को सुधारें।

सालार (27 अप्रैल) ने यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलिजियस फ्रीडम की रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और उनके खिलाफ झूठे मुकदमें दायर किए जा रहे हैं। इस संदर्भ में मुसलमानों के उत्पीड़न का भी उल्लेख किया गया है।

सियासत (18 अप्रैल) के अनुसार शिवसेना सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया है कि राम के नाम पर देश में हिंसा भड़काई जा रही है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह चुनाव जीतने के लिए देश को तोड़ने और समाज में धार्मिक उन्माद पैदा करने के बीज बो रही है। उन्होंने शिवसेना के मुखपत्र 'सामना' में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना

के प्रमुख राज ठाकरे भाजपा के एजेंडे को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि महाराष्ट्र में अशांति फैलाकर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सके।

सियासत ने 21 अप्रैल के संपादकीय में बुलडोजर को भाजपा का नया चुनावी अस्त्र बताया है और कहा है कि भाजपा नगर निगम के चुनाव को जीतने के लिए राजधानी दिल्ली में रामनवमी और हनुमान जयंती के अवसर पर सांप्रदायिक दंगों को भड़का रही है और अब अवैध निर्माण और दंगों में शामिल होने के नाम पर लोगों के घरों और दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है। यह सब कुछ केंद्र सरकार की नाक के नीचे हो रहा है।

सियासत (22 अप्रैल) के अनुसार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य सैयद शहजादी ने कहा है कि आयोग इस संबंध में स्थिति का अध्ययन कर रहा है और आवश्यक कार्रवाई करने के बारे में विचार किया जा रहा है।

इंकलाब (17 अप्रैल) के अनुसार देश के तेरह विपक्षी दलों के संयुक्त बयान में देश में बढ़ रही सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मांग की है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें।

अवधनामा (23 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में कहा है कि बुलडोजर मुसलमानों के मकानों पर नहीं भारत क संविधान और न्यायपालिका पर चलाया जा रहा है। यह जंगलराज है जिसे कोई सभ्य समाज सहन नहीं करेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून आज के युग में नहीं चल सकता। समाचारपत्र ने इस बात की निंदा की है कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा स्वयं ही न्यायपालिका बन गए हैं और उन्होंने ऐसे लोगों को दोषी करार देकर उनकी संपत्ति पर बुलडोजर के इस्तेमाल करने की खुलेआम वकालत कर रहे हैं, जिनका इन दंगों से कोई संबंध नहीं था।

इंकलाब (22 अप्रैल) ने एक समाचार प्रकाशित किया है, जिसमें यह कहा गया है कि जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने बुलडोजरों के इस्तेमाल की निंदा की है और उसे भारतीय संविधान की भावना के खिलाफ बताया है।

इंकलाब (21 अप्रैल) के अनुसार कांग्रेस ने भाजपा सरकार को जहांगोरपुरी दंगों के लिए दोषी ठहराया है और यह दावा किया है कि दंगा भड़काने वाला मुख्य आरोपी अंसार का संबंध भाजपा से है। इसी अंक में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान प्रकाशित किया गया है, जिसमें सांप्रदायिक दंगों की आड़ में अल्पसंख्यकों के मकानों को ध्वस्त किए जाने की निंदा की गई है।

इंकलाब (21 अप्रैल) में प्रकाशित एक संपादकीय में रामनवमी और हनुमान जयंती पर देश के विभिन्न भागों में होने वाले सांप्रदायिक दंगों की निंदा की है और कहा है कि देश के विभिन्न भागों में जिस तरह से दंगे हुए हैं उनका तरीका एक ही था। इससे यह संदेह होता है कि यह हिंसा पूर्वनियोजित थो। समाचारपत्र ने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस ने जानबूझकर इन दंगों को रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की और अब सिर्फ एक धर्म से संबंधित लोगों को ही विभिन्न मुकदमों में फंसाया जा रहा है।

सालार (20 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में यह आरोप लगाया है कि चुनाव जीतने के लिए भाजपा बहुसंख्यक वोटों का ध्रुवीकरण करने के उद्देश्य से देश में अल्पसंख्यक विरोधी भावनाओं को भड़का रहो है।

सियासत (18 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में कहा है कि दिल्ली सांप्रदायिक शक्तियों के निशाने पर है। जहांगीरपुरी में हनुमान जयंतो के अवसर पर बिना पूर्वानुमति के शरारती तत्वों ने शोभायात्रा निकाली। इस शोभायात्रा में भाग लेने

वाले तलवारों और अस्त्र-शस्त्रों से लैश थे। उन्होंने एक मस्जिद के सामने उत्तेजक नारे लगाए जिससे सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। समाचारपत्र ने यह भी आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ दल के इशारे पर दिल्ली पुलिस एक विशेष संप्रदाय के लोगों को झूठे मुकदमों में फंसा रही है। क्योंकि पुलिस पर राजनीतिक दबाव है।

रोजनामा सहारा (21 अप्रैल) ने देश में बढ़ती हुई सांप्रदायिक हिंसा पर चिंता प्रकट की है और यह आरोप लगाया है कि एक विशेष दल अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए मुसलमानों के खिलाफ देश में माहौल बना रहा है। इस तरह का अभियान देश की एकता के लिए खतरा है।

सालार (18 अप्रैल) ने जमीयत उलेमा के अध्यक्ष अरशद मदनी का एक बयान मुख्य समाचार के रूप में प्रकाशित किया है, जिसमें कहा गया है कि दंगे होते नहीं बल्कि राजनीतिक स्वार्थों के कारण कराए जाते हैं। देश भर में मुसलमानों को भयभीत करने के लिए एक सुनियोजित अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस खामोश रहकर तमाशा देख रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस देश में अब न तो कोई कानून रह गया है और न ही कोई सरकार।

मुंबई उर्दू न्यूज (17 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में भाजपा पर देश भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और हिंसा का माहौल बनाने का आरोप लगाया है और इस बात पर हैरानी प्रकट की है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह न इस चिंताजनक हालात पर मौन धारण कर रखा है। समाचारपत्र का कहना है कि देश के कई राज्यों जैसे दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में भड़की हिंसा के बाद एक ही संप्रदाय से संबंधित सैकड़ों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद बिना अदालती निर्देश के सत्तारूढ़ दल ने बुलडोजर चलाकर उनके मकानों और दुकानों को ध्वस्त कर दिया। समाचारपत्र ने कहा है कि बुलडोजरों का इस्तेमाल न्यायपालिका और संविधान की भावना के खिलाफ है।

औरंगाबाद टाइम्स (27 अप्रैल) ने मुख्य पृष्ठ पर एक समाचार प्रकाशित किया है, जिसमें कहा गया है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को अवैध बस्तियों को हटाने की आड़ में ओखला और शाहीन बाग में बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है।

हमारा समाज (22 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में जहांगीरपुरी और देश के अन्य भागों में बुलडोजरों के इस्तेमाल की निंदा की है और कहा है कि सिर्फ मुसलमानों की संपत्ति को ही इन बुलडोजरों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है और मुसलमानों को ही पुलिस झूठे मुकदमों में फंसा रही है। समाचारपत्र ने यह चेतावनी दी है कि अगर अन्याय का यह सिलसिला जारी रहा तो इसके परिणाम खतरनाक होंगे।

अवधनामा ने 24 अप्रैल के संपादकीय में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा दंगाईयों के खिलाफ उठाए गए कदमों की सराहना की है।

सीबीएसई के पाठ्यक्रम से इस्लामिक और मुगल इतिहास बाहर

मुंबई उर्दू न्यूज (24 अप्रैल) के अनुसार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने अगले वर्ष के लिए पाठ्यक्रम की घोषणा कर दी है। इस नए पाठ्यक्रम में बोर्ड ने दसवीं कक्षा के सामाजिक ज्ञान की पुस्तक से उर्दू के विख्यात कवि फैज अहमद फैज की नज्म को हटा दिया है। इसके अतिरिक्त 11वीं कक्षा क इतिहास की पुस्तक से इस्लाम की शुरुआत और उसके प्रसार से संबंधित पाठ्यक्रमों को हटा दिया गया है। 12वीं कक्षा के पुस्तक में मुगल काल से संबंधित अध्याय में भी काफी फेरबदल किया गया है। 'कौमी आवाज' की रिपोर्ट के अनुसार पाठ्यक्रम में इन परिवर्तनों के बारे में कुछ प्राध्यापकों ने आलोचना की है। जबकि कुछ ने इसे छात्रों के लिए लाभकारी बताया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की प्रोफेसर मौसमी बसु ने पूछा है कि आखिर ये परिवर्तन किस आधार पर किए गए हैं? क्या इस संबंध में शिक्षा विशेषज्ञों की राय ली गई है? इस बात की जांच होनी चाहिए कि पाठ्यक्रम से इन अध्यायों को हटाने के क्या कारण हैं? द इंडियन स्कूल की अध्यापिका कानू शर्मा ने इन परिवर्तनों की आलोचना करते हुए कहा है कि इस्लाम से संबंधित जो अध्याय हटाया गया है, उसमें इस्लाम की शुरुआत, सूफीज्म और पैगम्बर आदि के बारे में जानकारी दी गई थी। इसके जगह पर खानाबदोश साम्राज्य का अध्याय जोड़ा गया है, जिसमें चंगेज खां को एक प्रशासक के रूप में पेश किया गया है।

एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार दसवीं कक्षा की पुस्तक में एक अध्याय जातिवाद, धर्म और राजनीति से संबंधित था, जिसमें सांप्रदायिकता के बारे में बताया गया था। इस संदर्भ में तीन कार्टून दिए गए थे। पहले दो कार्टून में फैज अहमद फैज की कविता लिखी हुई थी। जबकि तीसरा कार्टून अंग्रेजी समाचारपत्र 'टाइम्स ऑफ इंडिया' का था। इसमें से फैज अहमद फैज की कविता वाले दोनों कार्टून हटा लिए गए हैं। बोर्ड ने नए पाठ्यक्रम में गणित के भी कुछ अध्याय हटाए हैं और उसकी जगह कुछ नए अध्याय भी जोड़े हैं। गौरतलब है कि पिछले वर्ष भी पाठ्यक्रम में इसी तरह से परिवर्तन किए गए थे, मगर जब उसका विरोध हुआ तो इस फैसले को वापस ले लिया गया।

रोजनामा सहारा (27 अप्रैल) के अनुसार सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में संशोधन करने का जो फैसला किया है उसे लागू करने के प्रश्न पर बिहार सरकार के दो घटकों भाजपा और जदयू के बीच के मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि हम बिहार में नए पाठ्यक्रम को किसी भी कीमत पर लागू नहीं करेंगे। मुगल शासन भारतीय इतिहास का अभिन्न हिस्सा है, जिसे किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और उसे पाठ्यक्रम से हटाने का कोई इरादा नहीं है। अगर हम पुराने इतिहास को इसी तरह से नजरअंदाज करते रहे तो इससे नई पीढ़ी हमेशा अंधेरे में रहेगी। इसी तरह से गुटनिरपेक्ष आंदोलन को भी पाठ्यक्रम से खारिज करना सरासर गलत है। जबकि दूसरी ओर भाजपा नेता और बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने नए पाठ्यक्रम को लागू करने का समर्थन किया है।

टिप्पणी: 11वीं कक्षा के इतिहास के पाठ्यक्रम से जो अध्याय हटाया गया है उसका शीर्षक है, 'सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स'। इसमें अफ्रीका और एशिया में इस्लामिक साम्राज्य का उदय और समाज तथा अर्थव्यवस्था पर उसके प्रभाव के बारे में बताया गया था। यह अध्याय इस्लाम की स्थापना, खिलाफत का उदय और इस्लामिक साम्राज्य के विस्तार से संबंधित था। इसी तरह से 12वीं कक्षा के इतिहास की पुस्तक से जो अध्याय हटाया गया है उसका शीर्षक है, 'द मुगल

कोर्ट : रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्रीज थ्रू क्रॉनिकल्स'। इस अध्याय में मुगलों की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास क पुनर्निर्माण के बारे में बताया गया था। जो कार्टून हटाए गए हैं वे टाइम्स ऑफ इंडिया के कार्टूनिस्ट अजीत नैनन के हैं। इस कार्टून में धार्मिक प्रतीकों से सजी हुई एक खाली कुर्सी है, जिसके साथ लिखा है, 'यह कुर्सी मनोनीत मुख्यमंत्री के लिए अपनी धर्मनिरपेक्ष साख साबित करने के लिए है'। हटाए गए अध्यायों के बारे में तर्क देते हुए बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की सिफारिशों के अनुरूप किया गया है। गौरतलब है कि सीबीएसई प्रत्येक वर्ष 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए पाठ्यक्रम बनाता है, जिसमें शिक्षा सामग्री, सीखने की विधि के साथ परीक्षा पाठ्यक्रम, शैक्षिक प्रशिक्षण और मूल्यांकन के लिए दिशा-निर्देश शामिल होते हैं। बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 2022-23 के शैक्षणिक सत्र के पाठ्यक्रम को उसी के अनुसार तैयार किया गया है। हालांकि यह पहला अवसर नहीं है जब बोर्ड ने कुछ ऐसे अध्याय पाठ्यक्रम से हटाए हों। पाठ्यक्रम को युक्तिसंगत बनाने के

लिए बोर्ड ने 2020 में भी घोषणा की थी कि 11वीं को राजनीति विज्ञान की पुस्तक में संघवाद, नागरिकता, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता के अध्याय पर छात्रों का आंकलन करते समय विचार नहीं किया जाएगा। इससे बड़ा विवाद पैदा हो गया था और बाद में इसे वापस ले लिया गया।

जी हिंदुस्तान (23 अप्रैल 2022) के अनुसार 11वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम से गुटनिरपेक्ष आंदोलन, शीतयुद्ध के दौर, अफ्रीकी और एशियाई क्षेत्र में इस्लामिक सामाज्य के उदय, मुगल दरबारों का इतिहास और औद्योगिक क्रांति से संबंधित अध्याय हटा दिए गए हैं। इसी तरह से कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में खाद्य सुरक्षा से संबंधित अध्याय में कृषि पर वैश्वोकरण के प्रभाव के अंश को हटाया गया है।

भारतीयों के लिए हज का कोटा

हमारा समाज (23 अप्रैल) के अनुसार सऊदी अरब ने इस वर्ष के लिए हज कोटे की घोषणा कर दी है। भारत के कोटे में भारी कटौती की गई है। इस वर्ष सिर्फ 79 हजार भारतीय ही हज कर सकेंगे। आम तौर पर अब तक भारत का हज का कोटा पौने दो लाख से लेकर दो लाख के बीच रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सऊदी अरब के शाह सलमान के बीच 2019 में जो वार्ता हुई थी उसके बाद भारत को सवा दो लाख का कोटा जारी करने का फैसला हुआ था। लेकिन पिछले दो वर्षों में कोरोना के कारण सऊदी अरब ने विदेशियों की हज यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब दो वर्ष के बाद दस लाख लोगों को हज करने की अनुमति दी गई है। भारत सरकार के हज कमेटी के सूत्रों के अनुसार 55 हजार हाजी हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा भेजे जाएंगे। जबकि

बाकी हिस्सा निजी टूर ऑपरेटरों का होगा। आम तौर पर हज के दौरान 25 लाख से अधिक लोग विश्व भर से हज करने के लिए सऊदी अरब जाया करते हैं। सऊदी अरब क हज मंत्रालय ने यह सफाई दी है कि विभिन्न देशों का इस वर्ष जो कोटा निर्धारित किया गया है वह अस्थाई है।

गौरतलब है कि अभी तक परंपरा के अनुसार पहले हज यात्रियों को विदेश मंत्रालय द्वारा भेजा जाता था और सरकार द्वारा उन्हें एक मोटी रकम सब्सिडी के रूप में दिया जाता था, मगर मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद सब्सिडी की इस धनराशि को धीरे-धीरे समाप्त करने का फैसला किया गया। इसके अतिरिक्त अब हाजियों को सऊदी अरब भेजने की जिम्मेवारी भारत के विदेश मंत्रालय की बजाय हज कमेटी ऑफ इंडिया को सौंपी गई है। हज कमेटी ने नवंबर 2021 में हज यात्रियों से आवेदन मांगे थे और इन आवेदनों को देने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2022 निर्धारित की गई थी। क्योंकि देश के मुसलमानों ने इस वर्ष हज करने में रुचि नहीं दिखाई, इसलिए बार-बार हज यात्रा के लिए आवेदन देने की अंतिम तिथि को बढ़ाया गया। ताजा फैसले के अनुसार 22 अप्रैल तक आवेदन देने का प्रावधान किया गया है। अगर हज यात्रा करने के इच्छुकों की संख्या अधिक होगी तो उनका चयन लॉटरी द्वारा किया जाएगा। इस वर्ष हज यात्रा की शुरुआत 7 जुलाई 2022 से होने की संभावना है।

इंकलाब (26 अप्रैल) के अनुसार इस वर्ष दिल्ली से मात्र 797 लोग ही हज यात्रा कर सकेंगे। जबकि हज करने के इच्छुक व्यक्तियों की संख्या 1840 है। इसलिए हज यात्रियों के नामों का चयन लॉटरी व्यवस्था द्वारा किया जाएगा। 31 मई को भारत से पहली हज फ्लाइट रवाना होगी। इस बार हज यात्रियों के विमान 23 स्थानों की जगह सिर्फ दस स्थानों से रवाना होंग। दिल्ली से जिन राज्यों के हज यात्री प्रस्थान करेंगे उनमें हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश शामिल हैं। दिल्ली राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष ने कहा है कि क्योंकि बाहर से काफी लोग विमानों में चढ़ने के लिए राजधानी में आते हैं इसलिए उनक आवास के लिए इस वर्ष भी शिविर लगाए जाएंगे, जिनमें उनके लिए मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी।

अवधनामा (23 अप्रैल) के अनुसार केंद्रीय हज कमेटी का पुनर्गठन कर दिया गया है और ए. पी. अब्दुल्लाकुट्टी को सर्वसम्मति से नया अध्यक्ष घोषित किया गया है। हज कमेटी के इतिहास में पहली बार दो महिलाओं को जगह दी गई है। मुनव्वरी बेगम और मफ़ज़ा खातून को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई दी है।

विश्व

आजादी के लिए संघर्षरत बलूचों के निशाने पर चीनी

गत दो दशक से आजाद बलूचिस्तान के समर्थकों ने पंजाबियों के खिलाफ जो जिहाद छेड़ा हुआ था अब उसने नया मोड़ लिया है। इन्होंने अब चीनियों को भी खुलेआम निशाना बनाना शुरू कर दिया है। बलूची इस बात से नाराज हैं कि पंजाबी और चीनी मिलकर उनकी खनिज संपदा का दोहन करने की योजना बना रहे हैं।

हमारा समाज (27 अप्रैल) के अनुसार कराची विश्वविद्यालय में एक बलूच महिला फिदायीन शारी बलूच ने तीन चीनी अध्यापकों और उनके ड्राइवर को मौत के घाट उतार दिया। इस आत्मघाती हमले में यह महिला स्वयं भी मारी गईं। इस हमले की जिम्मेवारी बलूच लिब्रेशन आर्मी ने ली है। खास बात यह है कि यह आत्मघाती बलूच महिला उच्च शिक्षा प्राप्त थीं। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार यह धमाका उस समय हुआ जब एक वैन चीनी प्राध्यापकों को लेकर कराची विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित चीनी भाषा के संस्थान की ओर जा रही थी।

कराची पुलिस के प्रमुख गुलाम नबी मेमन ने इस धमाके में कन्फ्यूशियस संस्थान (चीनी भाषा संस्थान) के तीन अध्यापकों और उनके एक ड्राइवर के मारे जाने की पुष्टि की है। जबकि इस धमाके में चार अन्य लोग घायल हुए हैं, जिनमें पाकिस्तानी रेंजर का एक अधिकारी और कुछ सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। मेमन ने बताया कि ये चीनी प्राध्यापक कराची विश्वविद्यालय के होस्टल में रहते थे और अपनी गाड़ी से अपने विभाग की ओर जा रहे थे तभी वे इस धमाके का निशाना बने। बलूच लिब्रेशन आर्मी के एक प्रवक्ता ने कहा है कि यह धमाका उनकी सेनानी शारी बलूच ने किया है।

गौरतलब है कि चीनी भाषा की शिक्षा का यह संस्थान कराची विश्वविद्यालय में 2013 में चीनी विश्वविद्यालयों के सहयोग से स्थापित किया गया था। इस संस्थान में चीन की चार भाषाओं में शिक्षा देने की व्यवस्था है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धमाके के तुरंत बाद वैन में आग लग गई और अर्द्धसैनिक दस्तों ने पूरे परिसर को घेर लिया।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस धमाके की निंदा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां इस पूरी साजिश का पर्दाफाश करेंगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। चीनी विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर बढ़ते हुए हमलों पर चिंता प्रकट की है और पाकिस्तान सरकार से मांग की है कि वह पाकिस्तान में रहने वाले चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था करे। गौरतलब है कि जबसे पाकिस्तान और चीन के बीच आर्थिक गलियारे की परियोजना प्रारंभ की गई है तब से बलूची इसका विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि पंजाबी और चीनी मिलकर बलूचिस्तान का आर्थिक शोषण करना चाहते हैं।

कौन थी शारी बलूच?

बीबीसी के अनुसार शारी बलूच उर्फ बरमश बलूचिस्तान के तुरबत जिला में गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल, कलात में शिक्षिका के रूप मे कार्यरत थीं। शारी बलूच के रिश्तेदारों ने बीबीसी को बताया कि उनके परिवार में किसी भी व्यक्ति की पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मियों के हाथों मौत नहीं हुई है और न ही उन्हें पाकिस्तान को सुरक्षा एजेंसियों ने कभी अगवा किया है। कराची पुलिस के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तानी समाज में महिलाओं के पर्दे का सम्मान किया जाता है। इसलिए उनकी ज्यादा तलाशी नहीं ली जाती है। यही कारण है कि शारी अपने बुर्के के अंदर विस्फोटक पदार्थ लेकर विश्वविद्यालय परिसर में दाखिल होने में सफल रही। अफगान पत्रकार बशीर अहमद ग्वाख के अनुसार इस आत्मघाती हमले में शामिल शारी बलूच की उम्र तीस वर्ष थी। उन्होंने भ्विज्ञान में एमएससी और एजुकेशन में एमफिल कर रखा था। वह बलूचिस्तान लिब्रेशन आर्मी की आत्मघाती विंग 'मजीद ब्रिगेड' की कार्यकर्ता थीं। उन्होंने दो वर्ष पूर्व बलूच लिब्रेशन आर्मी की गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया था और यह पेशकश की थी कि आजाद बलूचिस्तान के लिए वह अपनी जान कुर्बान करना चाहती हैं। एसा दावा किया गया ह कि इस आत्मघाती हमले में शारी के मारे जाने के बाद उनके डॉक्टर पति हबितान बशीर बलूच ने एक ट्विट किया, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी की मौत पर गर्व करते हुए कहा है कि यह उनका एक नि:स्वार्थ काम था। उन्होंने कहा, 'शारी जान, तुम्हारे नि:स्वार्थ कार्य ने मुझे अवाक कर दिया है। आज मैं गर्व से फूल गया हूं। महरोच और मीर हसन (शारो के बच्चे) यह सोचकर गौर्वान्वित होंगे कि उनकी मां एक महान महिला थी। तुम हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनी रहोगी'।

शारी बलूच का संबंध एक समृद्ध बलूच परिवार से था। उनके पिता एक सरकारी अधिकारी थे और उनके पति दांतों के जाने माने डॉक्टर हैं। अभिजात पृष्ठभूमि वाली शारी बलूच को किन हालात ने मानव बम बनने पर मजबूर किया इसके बारे में दावे से कुछ भी कहना कठिन है। शारी पिछले छह महीने से स्कूल नहीं जा रही थीं। एजेंसियां सीसीटीवी की फूटेज देखकर हैरान हैं, जिसमें पाकिस्तानी रेंजर की मौजूदगी में बुर्का पहनी यह महिला कराची विश्वविद्यालय परिसर में

कंफ्यूशियस संस्थान के गेट पर दिखती है और उसके बाद एक विस्फोट होता है। इन धमाकों में जो तीन चीनी प्राध्यापक मारे गए हैं उनमें इस संस्थान के निदेशक हुआंग गुईपिंग और दो अन्य अध्यापिका डिंग मुफांग एवं चन साई शामिल हैं। इस समय पाकिस्तान के पांच विश्वविद्यालयों में चीनी भाषा पढ़ाने की व्यवस्था है और 500 से अधिक छात्र चीनी भाषा की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। पाकिस्तान में चीनी भाषा की शिक्षा 1970 में शुरू हुई थी और अब तक 53 हजार पाकिस्तानी छात्र चीनी भाषाओं की शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। पाकिस्तानियों में इसलिए चीनी भाषा सीखने की ललक पैदा हुई है, क्योंकि वे इसे समृद्धि का द्वार मानते हैं। 2016 में चीन सरकार ने 5 हजार पाकिस्तानी छात्रों को अपने विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति देने की घोषणा की थी। पाकिस्तानी मंत्रिमंडल एक प्रस्ताव पारित कर चुका है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान और चीन के आर्थिक गलियारे को सफल बनाने के लिए यह जरूरी है कि अधिक-से-अधिक पाकिस्तानी चीनी भाषा को समझें।

2013 में साठ अरब डॉलर वाले चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की नींव रखी गई थी। पाकिस्तान में चीनी राजदूत नोंग रोंग ने 16 फरवरी 2022 को इमरान खान के चीन दौरे के समय यह बयान दिया था कि आर्थिक गलियारे की परियोजना के सिलसिले में अब तक 75 हजार पाकिस्तानी युवकों को नौकरियां दी जा चुकी हैं। पाकिस्तान में चीन की भाषाओं में निपुणता प्राप्त करने के लिए जोरदार अभियान चलाया जा रहा है। पाकिस्तान और चीन के बढ़ते हुए सहयोग का पश्तूनों और बलूचों द्वारा विरोध किया जा रहा है। जुलाई 2021 में खैबर पख्तूनख्वा में चीन क सहयोग से बनाई जा रही दासू जल विद्युत परियोजना के इंजोनियरों की बस में धमाका हुआ था, जिसमें नौ चीनी मारे गए थे। अगस्त 2021 में ग्वादर बंदरगाह में बलूच लिब्रेशन आर्मी ने हमला किया था, जिसमें दो बच्चे मारे गए थे। 2017 में ग्वादर में सड़क निर्माण में लगे चीनियों पर बलूच लिब्रेशन आर्मी के लड़ाकुओं ने हमला किया था और दस चीनियों को गोलियों से भून दिया था। 2018 में कराची के वाणिज्य दूतावास पर भी एक हमला हुआ था, जिसे पाकिस्तानी सेना ने विफल बना दिया था। कराची विश्वविद्यालय में हुए धमाकों के बाद चीनी समाचारपत्र ग्लोबल टाइम्स ने आरोप लगाया है कि यह हमला बलूच लिब्रेशन आर्मी के मजीद ब्रिगेड ने किया है, जिसके तार पाकिस्तान के पड़ोसी देश से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तानी समाचारपत्र 'एक्सप्रेस न्यूज' के अनुसार बलूच लिब्रेशन आर्मी के मजीद ब्रिगेड की स्थापना 2011 में हुई थी। इस घटना के बाद चीनी और पाकिस्तानी मीडिया ने भारत को निशाना बनाना शुरू कर दिया है।

पाकिस्तान और बलूचों के बीच विवाद की पृष्ठभूमि

1947 में पाकिस्तान के निर्माण की घोषणा करने से पहले ब्रिटिश सरकार ने इस उपमहाद्वीप की 600 रियासतों को इस बात का अधिकार दिया था कि वे अपनी मर्जी से पाकिस्तान या भारत किसी में भी शामिल हो सकत ह। इसके अतिरिक्त उन्हें इस बात का भी अधिकार दिया गया था कि वे यदि चाहें तो अपने स्वतंत्र वजूद को भी बरकरार रख सकते हैं। इसका लाभ कलात के तत्कालीन शासक मीर अहमद यार खान ने उठाया और उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इस नई रियासत का प्रधानमंत्री नवाबजादा मोहम्मद असलम खान को घोषित किया गया। शासन को चलाने के लिए दो सदन भी गठित किए गए। उपरी सदन को 'दारूल उमरा' और निचले सदन को 'दारूल अवाम' का नाम दिया गया। पाकिस्तान के गठन के एक वर्ष बाद तक बलूचिस्तान का आजाद वजूद बरकरार रहा। मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 फरवरी 1948 को कलात के खान को एक

पत्र लिखकर कहा कि वे तुरंत पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। जब उन्होंने पाकिस्तान में शामिल होने से इंकार कर दिया तो पाकिस्तानी सेना की एक टुकड़ी को बलूचिस्तान पर कब्जा करने के लिए भेजा गया। पाकिस्तानी सेना ने वहां पसनी, जिवानी और तुरबत से तीन तरफा हमला किया और कलात, लसबेला, खरान और मकरान पर जबरन कब्जा कर लिया। बलूचों ने पाकिस्तानी सेना द्वारा अपने क्षेत्र पर जबरन कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया और उन्होंने पाकिस्तानी शासकों के खिलाफ विद्रोह का झंडा उठा लिया। 1955 में पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के एकीकरण की घोषणा की। इसके खिलाफ बलूचिस्तान में सशस्त्र विद्रोह की शुरुआत हो गई। 1962 में जहरी कबीला के प्रमुख नौरोज खान ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह शुरू कर दिया। इस विद्रोह को पाकिस्तानो सेना ने जबरन कुचल दिया और नौरोज खान और उनके बेटों को फांसी पर लटका दिया गया। 1973 में जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार ने बलूचिस्तान की निर्वाचित सरकार को बर्खास्त कर दिया और वहां के सत्तारूढ़ दल नेशनल अवामी पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया। भुट्टो प्रशासन ने विभिन्न बलूच कबीलों के प्रमुख जैसे खैर बख्श मारी, अताउल्लाह मेंगल और गौस बख्श बिजेंजो को गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध स्वरूप बलूचों ने अपनी आजादी के लिए सशस्त्र संघर्ष शुरू किया जो कि 1993 तक जारी रहा। सरकारी सूत्रों के अनुसार इस संघर्ष में 3300 पाकिस्तानी सैनिक और 53 हजार बलूच नागरिक मारे गए। 2005 में बलूचिस्तान की शासक पार्टी जम्हूरी वतन पार्टी के प्रमुख एवं बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री नवाब अकबर खान बुगती के पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह परवेज मुशर्रफ के साथ मतभेद उत्पन्न हो गए। पाकिस्तानी सेना ने 2006 में अकबर बुगती के किले पर हमला कर दिया और दिनदहाड़े गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद बलूचिस्तान के विभिन्न कबीलों ने पाकिस्तानी सैनिक तानाशाही के खिलाफ जो सशस्त्र संघर्ष प्रारंभ किया था वह आज भी जारी है। खास बात यह है कि आजाद बलूचिस्तान के समर्थक कम-से-कम पांच गुटों में विभाजित हैं। इनके आपसी मतभेदों का लाभ पाकिस्तान के शासक उठा रहे हैं।

बलूच लिब्रेशन आर्मी का गठन 2005 में किया गया था और इस संगठन ने 2005 में राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के बलूचिस्तान दौरे के दौरान पाकिस्तानी सेना के कोहलू स्थित सैनिक शिविर पर हमला करके दर्जनों पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। मारी कबीला आजादी का अलग संघर्ष चला रहा है। खैर बख्श मारी की पाकिस्तानी सेना द्वारा हत्या के बाद अब इस कबीले की कमान उनके बेटे हायरबायर मारी के हाथ में है जो कि लंदन में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस कबीले के बुगती कबीले के साथ गंभीर मतभेद हैं और ये दोनों बलूचों के नेतृत्व का दावा करते हैं। पाकिस्तानी शासकों द्वारा बलूचिस्तान पर यह आरोप लगाया जाता है कि आजाद बलूचिस्तान के अभियान के पीछे परोक्ष

रूप से भारत का हाथ है। बताया जाता है कि बुगती कबीले के वर्तमान प्रमुख ब्रहमदग बुगती जो इन दिनों स्विट्जरलैंड में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ने 2017 में भारत सरकार से राजनीतिक शरण मांगी थी, मगर भारत सरकार ने उन्हें अभी तक राजनीतिक शरण नहीं दी है। तीन अन्य कबीले भी आजाद बलूचिस्तान के लिए संघर्षशील हैं। बलूचों को इस बात की शिकायत है कि बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन पाकिस्तान की पंजाबी लॉबी कर रही है और वह इन संसाधनों से होने वालो आय में से एक पैसा भी बलूचिस्तान के विकास पर खर्च नहीं करती। यह भी आरोप लगाया जाता है कि बलूचिस्तान के कुछ कबीलों की बगावत को ईरान द्वारा भी परोक्ष रूप से समर्थन दिया जाता है। इसका मूल कारण यह है कि बलूच कबीलों में से अधिकांश शिया हैं। बलूचिस्तान में शिया-सुन्नी संघर्ष भीषण रूप ले रहा है। गत एक वर्ष में बलूचिस्तान में हुए धमाकों में 300 से अधिक हजारा कबीला के शिया मारे जा चुके हैं। इन धमाकों के पीछे पाकिस्तानी सुन्नी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-झंगवी का हाथ बताया जाता है।

स्वीडन में कुरान की तौहीन पर हंगामा

स्वीडन में मुस्लिम विरोधी संगठनों द्वारा कुरान जलाए जाने के खिलाफ देश भर में मुसलमानों के विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है।

औरंगाबाद टाइम्स (19 अप्रैल) के अनुसार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के समीप स्थित एक कस्बे में 'हार्ड लाइन' नामक एक अतिवादी संगठन के नेता रासमस पलुदान ने कुरान को सार्वजनिक रूप से जलाया था। इसके बाद स्वीडन के अनेक शहरों में मुसलमानों ने इस घटना के खिलाफ उग्र प्रदर्शनों का सिलसिला तेज कर दिया। गौरतलब है कि इस अतिवादी संगठन ने यह दावा किया है कि कुरान में हिंसा की बात कही गई है। इसलिए उस पर स्वीडन में प्रतिबंध लगाया जाए। गत एक सप्ताह से पुलिस और मुसलमानों के बीच देश भर में झड़पों का सिलसिला जारी है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के अनेक वाहनों को आग लगा दी और उन पर हमले भी किए। पुलिस ने तीस प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है।

इस घटना के खिलाफ मुस्लिम देशों में जनाक्रोश फैल गया है। ईरान और इराक की सरकारों ने अपनी-अपनी राजधानी में स्वीडन के राजदूत को तलब करके उनसे इस घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। सऊदी अरब ने इस बात पर क्षोभ व्यक्त किया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस्लामोफोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए जाने के बावजूद यूरोप के कुछ देशों में अतिवादी इस्लाम, कुरान और मुसलमानों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। सऊदी अरब ने कहा है कि इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इत्तेमाद (20 अप्रैल) के अनुसार स्वीडन की प्रधानमंत्री मैग्डेलना एंडरसन ने दक्षिणपंथी राजनेता रासमस पलुदान की ओर से आयोजित की गई मुस्लिम विरोधी रैलियों की निंदा की है। ये संगठन इस बात की मांग कर रहे हैं कि स्वीडन में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाए और उन्हें नागरिक अधिकार न दिए जाएं। स्वीडिश मीडिया के अनुसार यह प्रदर्शन सरकार की अनुमति लेने के बाद किए गए थे और इनमें अनेक स्थानों पर कुरान को जलाया गया। इस घटना के खिलाफ मुसलमानों द्वारा देशव्यापी प्रदर्शन किया गया और सार्वजनिक संपत्ति को उग्र प्रदर्शनकारियों ने आग लगाई और पुलिस पर हमले किए। सरकारी सूचना के अनुसार 44 प्रदर्शनकारियों को विभिन्न नगरों में गिरफ्तार किया

गया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो लोग पुलिस पर हमले कर रहे हैं वे स्वीडन के लोकतांत्रिक ढांचे को तहस-नहस करना चाहते हैं। उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें स्वीडन से निष्कासित करने पर भी विचार किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इन हमलों के पीछे विदेशी संगठनों का हाथ है, जिन्होंने स्वीडन में रहने वाले मुसलमानों को सरकार के खिलाफ भड़काया। गौरतलब है कि इसके पहले भी हार्ड लाइन संगठन द्वारा इस्लाम विरोधी प्रदर्शनों का आयोजन किया जा चुका है। उनकी मांग है कि डेनमार्क में इस्लाम पर प्रतिबंध लगाया जाए और जो मुसलमान स्वीडन और डेनमार्क में रह रहे हैं उनकी नागरिकता रद्द करने के बाद इन दोनों देशों से निष्कासित किया जाए।

इत्तेमाद (20 अप्रैल) के अनुसार ईरान के अनेक नगरों में स्वीडन के खिलाफ प्रदर्शनों का आयोजन किया गया, जिनमें मांग की गई कि कुरान की तौहीन करने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएं। ईरान ने आरोप लगाया है कि इन प्रदर्शनों के पीछे यहूदियों का हाथ है। एक अन्य समाचार के अनुसार पाकिस्तान में भी अनेक स्थानों पर छात्रों ने स्वीडन, नार्वे और नीदरलैंड के खिलाफ प्रदर्शनों का आयोजन किया। हाल ही में नीदरलैंड के एक सांसद ने यह मांग की है कि यूरोप में इस्लाम के प्रचार पर प्रतिबंध लगाया जाए।

फ्रांस में इमैनुएल मैक्रों पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित

मुंबई उर्दू न्यूज (26 अप्रैल) के अनुसार फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों अपने विरोधी मरीन ले पेन को पराजित करके पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए हैं। मोडिया के अनुसार मैक्रों को इन चुनावों में साठ प्रतिशत के लगभग वोट प्राप्त हुए हैं। मैक्रों को अब जून महीने में होने वाले फ्रांस के संसदीय चुनाव में विजय प्राप्त करना होगा। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी 2017 में मैक्रों ने ले पेन को ही पराजित किया था। मैक्रों और उनके प्रतिद्वंद्वी दोनों ने अपने चुनाव में हिजाब और हलाल मांस को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया था। मैक्रों को मुस्लिम विरोधी माना जाता है। अपने शासनकाल में उन्होंने

फ्रांस में पैर पसार रहे इस्लामिक आतंकवाद को रोकने के लिए अनेक महत्त्वपूर्ण कदम उठाए थे। मीडिया के अनुसार 50 लाख मुसलमान प्रवासी फ्रांसीसी समाज के लिए सिरदर्द बने हुए हैं।

इत्तेमाद (27 अप्रैल) के अनुसार मैक्रों की जीत से फ्रांस सरकार की मुस्लिम विरोधी नीति में और भी सख्ती आने की संभावना है।

इत्तेमाद (27 अप्रैल) ने मैक्रों के दोबारा फ्रांस के राष्ट्रपति चुने जाने का स्वागत करते हुए कहा है कि अगर उनकी विरोधी मरीन ले पेन जीत जातीं तो मुसलमानों के लिए फ्रांस में जीना मुश्किल हो जाता। क्योंकि अपनी चुनावी घोषणापत्र में ले पेन ने यह घोषणा की थी कि अगर वह सत्ता में आईं तो वह फ्रांस में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा देंगी। इसके अतिरिक्त हिजाब और हलाल गोश्त पर भी पाबंदी लगाने का उन्होंने वायदा किया था।

समाचारपत्र ने कहा है कि जहां तक इस्लाम विरोध का संबंध है यूरोप में अब राजनेता सत्ता में आने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्रांस यूरोपीय यूनियन का प्रमुख सदस्य है, जिसके पास संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त फ्रांस परमाणु शक्ति भी है। मैक्रों यूरोपीय यूनियन के प्रबल समर्थक हैं। मैक्रों के शासनकाल में ही एक ईसाई अध्यापक ने पैगम्बर मोहम्मद का चित्र अपने स्कूल में छात्रों को दिखाया था। इस पर उन्हीं के एक छात्र ने सार्वजनिक रूप से उनकी हत्या कर दी। इसके बाद फ्रांस ने मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ कई सख्त कानून बनाए और फ्रांस में अनेक मस्जिदों को बंद कर दिया। इसका यूरोप के अनेक देशों ने समर्थन किया। जबकि इस्लामिक जगत में इसका विरोध किया गया और अनेक मुस्लिम देशों ने फ्रांसोसी वस्तुओं का बहिष्कार किया। देखना यह होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो प्रस्ताव पारित किया गया है उसे फ्रांस सरकार कितनी गंभीरता से लागू करने का प्रयास करती है।

अफगानिस्तान में धमाकों से सैकड़ों निर्दोषों की हत्या

गत सप्ताह अफगानिस्तान में हुए कम-से-कम पांच बम धमाकों में अनेक निर्दोष मारे गए हैं। मरने वालों में से अधिकांश का संबंध शिया संप्रदाय से है। सुन्नी मुसलमानों क संगठन इस्लामिक स्टेट का हाथ इन धमाकों के पीछे बताया जाता है। अब ताजा घटनाक्रम के अनुसार शिया मुसलमानों ने भी सुन्नियों के खून से होली खेलनी शुरू कर दी है।

इंकलाब (30 अप्रैल) के अनुसार काबुल में एक सुन्नी मस्जिद में हुए धमाके में कम-से-कम 10 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए हैं। यह धमाका सुन्नी मस्जिद खलीफा आगा गुल जान में हुआ। यह धमाका तब हुआ जब वहां पर जुमे की नमाज अदा की जा रही थी। तालिबान के एक प्रवक्ता ने इस बात को स्वीकार किया कि जिस मस्जिद में धमाका हुआ है वह सुन्नी संप्रदाय की है। उन्होंने कहा कि सरकार इस बात का पता लगा रही है कि इस धमाके के पीछे किस संगठन का हाथ है।

एक अन्य समाचार के अनुसार अफगानिस्तान के मजार शरीफ नगर में दो बसों में हुए धमाकों में कम-से-कम दस लोग मारे गए। बल्ख पुलिस के प्रवक्ता आसिफ वजीरी ने यह स्वीकार किया कि जुमा के दिन मजार शरीफ जिले में कई धमाके हुए हैं। सरकार इस बात का पता लगा रही है कि इन धमाकों में मरने वालों की संख्या कितनी है।

मुंबई उर्दू न्यूज (20 अप्रैल) के अनुसार अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बच्चों के स्कूलों में हुए तीन धमाकों में कम-से-कम 33 लोग मारे गए, जिनमें से अधिकांश किशोर छात्र थे। जबकि 50 से अधिक लोग घायल हो गए। मरने वालों का संबंध हजारा शिया संप्रदाय से बताया जाता ह। एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार काबुल पुलिस के प्रवक्ता खालिद जदरान के अनुसार धमाका अब्दुल रहीम शाहिद स्कूल में हुआ जो कि शिया मस्जिद के समीप स्थित है। इस धमाके में कम-से-कम 27 बच्चे मारे गए और 11 घायल हो गए। दूसरा धमाका एक अन्य स्कूल के समीप हुआ जब बच्चे स्कूल जा रहे थे। यह धमाका स्कूल के बाहर हुआ। इसमें कम-से-कम छह बच्चे मारे गए। एक धमाका अंग्रेजी भाषा केंद्र में हुआ जो कि शिया आबादी के क्षेत्र में स्थित है। इसमें भी अनेक छात्रों के मारे जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। काबुल पुलिस ने इन धमाकों के पोछे आईएसआईएस के आतंकवादियों का हाथ बताया है। स्कूल के बाहर चारों ओर बच्चों के बस्ते और जूते बिखरे हुए थे और उनका खून चारों तरफ फैला हुआ था। पाचवां धमाका मुमताज प्रशिक्षण केंद्र के समीप हुआ।

मुंबई उर्दू न्यूज (24 अप्रैल) के अनुसार अफगानिस्तान के सूबा कंदुज के जिला इमाम साहिब की शिया मस्जिद में हुए धमाके में कम-से-कम 33 नमाजी मारे गए और 47 जख्मी

हुए। इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद के अनुसार इन धमाकों के पीछे आईएसआईएस का हाथ है। इस धमाके में मस्जिद की इमारत पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। उन्होंने कहा है कि यह अतिवादी संगठन अफगानिस्तान के विभिन्न नगरों में मासूम लोगों को अपना निशाना बना रहा है। शर्म की बात है कि ये धमाके पवित्र रमजान के महीने में हो रहे हैं, जिनमें मुसलमान ही मुसलमानों का खून बहा रहे हैं।

अफगानिस्तान में पाकिस्तान का ड्रोन हमला

इत्तेमाद (20 अप्रैल) के अनुसार पाकिस्तानी सेना के ड्रोन विमानों ने अफगानिस्तान की भूमि पर हमला किया और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के तीन ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, जिसमें अनेक लोग मारे गए। पाकिस्तान सरकार ने यह दावा किया है कि पााकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर स्थित खोस्त और कनर प्रांत में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के प्रशिक्षण शिविर मौजूद थे। इनमें आतंकवादियों को पाकिस्तान में आतंकवादी कार्रवाई करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था।

पाकिस्तान सरकार ने अफगानिस्तान सरकार के इस दावे का खंडन किया है कि ये हमले पाकिस्तान की वायु सेना ने किए थे और इन विमानों ने अफगानिस्तान की हवाई सीमा का उल्लंघन किया था। पाकिस्तान के एक प्रवक्ता ने कहा कि ये हमले ड्रोन द्वारा किए गए थे।

जिन क्षेत्रों पर यह हमला किया गया वह अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के नियंत्रण में नहीं है और उस पर पाकिस्तान के विद्रोहियों का कब्जा है। पाकिस्तान सरकार ने ये हमले पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादियों की कमर तोड़ने के लिए किए थे। प्रवक्ता ने कहा कि रमजान महीना होने के बावजूद तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों ने उत्तरी वजीरिस्तान और बाजौर में पाकिस्तानी सेना के शिविरों पर हमला किया था, जिसमें कम-से-कम सात लोग मारे गए थे। इनमें एक मेजर भी शामिल था। इसके अतिरिक्त डेरा इस्माइल खान में पाकिस्तानी पुलिस को अनेक चौकियों पर मिसाइल से हमला किया गया, जिसमें कई पाकिस्तानी मारे गए थे। इससे मजबूर होकर पाकिस्तान को अफगान आतंकवादियों के खिलाफ यह कार्रवाई करनी पड़ी। पाकिस्तानी सेना के इस हमले के कारण इस्लामिक आतंकियों को भारी जान माल का नुकसान उठाना पड़ा है और उनके दर्जनों लाग मारे गए हैं।

पश्चिम एशिया

सऊदी अरब द्वारा हज हेतु कोटे की घोषणा

इंकलाब (24 अप्रैल) के अनुसार सऊदी सरकार ने 2022 के लिए हज काटे की घोषणा कर दी है और विश्व के प्रत्येक देश के लिए हाजियों का कोटा निर्धारित कर दिया गया है। सऊदी गजट की रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष दस लाख लोग हज कर सकेंगे। जबकि उमरा करने वालों के लिए 65 वर्ष से कम आयु की सीमा निर्धारित की गई है और वही लोग उमरा कर सकेंगे जिन्होंने कोरोना का टीका लगवा रखा होगा। इसके साथ ही उन्हें 72 घंटे पुरानी आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट भी देनी होगी। सऊदी गजट के अनुसार सबसे ज्यादा इंडोनेशिया से हाजियों को आने की अनुमति दी गई है। इस वर्ष इंडोनेशिया से एक लाख 71 हजार व्यक्तियों को हज करने की अनुमति होगी। इंडोनेशिया के बाद पाकिस्तान से 81 हजार लोगों को हज करने की अनुमति दी गई है। जबकि भारत से 79 हजार लोगों को हज करने की अनुमति दी गई है। बांग्लादेश का कोटा 57 हजार निर्धारित किया गया है। जबकि नाइजीरिया का कोटा 43 हजार, तुर्की का कोटा 37 हजार, अफगानिस्तान का कोटा 13 हजार, ब्रिटेन का कोटा 12 हजार, अमेरिका का कोटा 9 हजार और फ्रांस का कोटा भी 9 हजार निर्धारित किया गया है। अफ्रीकी देश अंगोला का कोटा सबसे कम है। वहां से सिर्फ 23 लोगों को ही हज करने की अनुमति होगी। इस वर्ष कोरोना के कारण कोटे में 45 प्रतिशत की कमी की गई है। गत दो वर्षों से कोरोना के कारण सऊदी सरकार ने विदेशियों के हज पर प्रतिबंध लगा रखा था और सिर्फ सऊदी अरब के नागरिकों को ही यह सुविधा प्राप्त थी।

सऊदी अरब और ईरान के बीच पुनः वार्ता की शुरुआत

इंकलाब (25 अप्रैल) के अनुसार ईरान और सऊदी अरब के बीच पुनः वार्ता की शुरुआत हो गई है। यह वाता बगदाद में हो रही है। ईरान के सुप्रीम नेशनल सेक्युरिटी काउंसिल के उच्चाधिकारियों ने सऊदी गुप्तचर विभाग के उच्चाधिकारियों से वार्ता शुरू कर दी है। गौरतलब है कि एक महीने पूर्व ईरान सरकार ने सऊदी अरब में शियाओं के उत्पीड़न के खिलाफ विरोध प्रकट करते हुए सऊदी अरब के साथ वार्ता करने से इंकार कर दिया था। ईरान का आरोप था कि जिन लोगों को सऊदी अरब में फांसी पर लटकाया गया है उनमें से अधिकांश ईरान समर्थक शिया हैं तथा उन्हें इसलिए मौत की सजा दी गई है क्योंकि वे सऊदी अरब की सुन्नी सरकार के विरोधी थे।

गौरतलब है कि यमन में हूती विद्रोहियों की गतिविधियों के कारण भी सऊदी अरब और ईरान के संबंधों में गत कई वर्षों से भारी तनाव चला आ रहा है। सऊदी अरब का आरोप है कि हूतियों को ईरान द्वारा सैनिक और आर्थिक सहायता दी जाती है और उन्हें सऊदी अरब पर हमले करने के लिए उकसाया जाता है। इससे पूर्व 2016 में सऊदी सरकार ने शिया विद्वान निमर बाकिर अल-निमर को फांसी पर लटकाया था। तब सऊदी अरब और ईरान के संबंधों में जबर्दस्त तनाव आया था। इस फांसी के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए ईरानी प्रदर्शनकारियों ने तेहरान में सऊदी अरब के दूतावास पर हमला किया था और उसे आग लगा दी थी। इसके बाद सऊदी और ईरान के राजनयिक संबंध समाप्त हो गए थे। बाद में सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने इस बात पर जोर दिया था कि ईरान और सऊदी अरब क्योंकि दोनों मुस्लिम देश हैं इसलिए उन्हें अपने संबंधों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए।

ईरानो प्रवक्ता के अनुसार ईरान में कुछ सुन्नियों ने ईरानी मिलिशिया पासदारान-ए-इंकलाब क कमांडर की कार पर गोली चलाई थी। इस हमले में एक व्यक्ति मारा गया था। हालांकि पासदारान-ए-इंकलाब के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल हसन अलमासी बाल-बाल बच गए थे। अरब जगत में अमेरिका के दबाव पर मुस्लिम देशों द्वारा इजरायल के साथ संबंध स्थापित करने का जो अभियान चल रहा है उसका ईरान द्वारा विरोध किया जाता रहा है।

काबा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी

पाकिस्तान के विभिन्न राजनीतिक दलों में जो संघर्ष चल रहा है वह सऊदी अरब तक भी जा पहुंचा है।

रोजनामा सहारा (30 अप्रैल) के अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके साथी मंत्रियों के खिलाफ मस्जिद-ए-नबवी में न सिर्फ नारेबाजी की गई बल्कि कुछ पाकिस्तानियों ने शहबाज शरीफ के साथ आए पाकिस्तानी मंत्रियों के साथ मारपीट भी की।

इंकलाब (30 अप्रैल) के अनुसार इस संदर्भ में कई पाकिस्तानियों को सऊदी अरब में गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि इन दिनों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने दर्जनों मंत्रियों के साथ सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान क निमंत्रण पर सऊदी अरब के दौरे पर हैं। इस घटना के बारे में पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह खान ने कहा है कि इस घटना से करोड़ों पाकिस्तानियों की भावना को चोट पहुंची है। मस्जिद-ए-नबवी और काबा में शहबाज शरीफ के खिलाफ 'चोर-चोर' के नारे लगाए गए तथा सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब और मादक पदार्थ विरोधी मंत्रालय के शाहजैन बुगती के साथ इन पाकिस्तानियों ने मारपीट भी की। इस घटना पर टिप्पणी करते हुए पाकिस्तान की सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने कहा है कि जो लोग सऊदी अरब की पवित्र भूमि को रमजान के मुबारक महीने के दौरान राजनीतिक उद्देश्यों क लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी मैं निंदा करती हूं। क्योंकि वे इस्लाम के नाम पर धब्बा हैं।

सूडान में अरबों और ईसाईयों में खूनी झड़पें

इंकलाब (29 अप्रैल) के अनुसार सूडान के पश्चिमी दारफुर राज्य में मुसलमानों और ईसाईयों के बीच हुई झड़पों में कम-से-कम 200 लोग मारे गए हैं और 500 से ज्यादा घायल हुए हैं। मुसलमानों और ईसाईयों के बीच सशस्त्र झड़पें गृहयुद्ध का रूप ले रही हैं। इस संघर्ष का कारण सूडान के उपजाऊ क्षेत्रों पर अरबों और ईसाईयों के कब्जे का प्रयास बताया जाता है। सूडान काफी समय से अकाल का सामना कर रहा है। इसलिए ईसाईयों ओर मुसलमानों का प्रयास यह है कि वे ज्यादा से ज्यादा उपजाऊ क्षेत्रों पर कब्जा जमा सकें। कहा जाता है कि कुछ अरबों ने दो ईसाईयों पर हमला करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद ईसाईयों और अरबों में खूनी झड़पों का सिलसिला तेज हो गया और सिर्फ एक दिन के अंदर 200 से अधिक लोग मारे गए और 500 से ज्यादा घायल हुए।

गौरतलब है कि इससे पूर्व सूडान के सेना प्रमुख अब्दुल फतह अल-बुरहान ने बगावत करके सूडान की नागरिक सरकार का तख्ता पलट दिया था। इसके बाद देश में खूनी झड़पों का सिलसिला तेज हो गया है। बताया जाता है कि अरबों के

संगठन को सूडान के पूर्व राष्ट्रपति उमर अल-बशीर का समर्थन प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने दोनों पक्षों से शांति स्थापित करने की जो अपील की थी उसे दोनों ने ठुकरा दिया है।

यमन की नई सरकार ने विश्वासमत हासिल किया

मुंबई उर्दू न्यूज (24 अप्रैल) यमनी संसद ने अस्थाई राजधानी अदन में आयोजित संसद के विशेष अधिवेशन में दिसंबर 2020 में रियाद समझौते के तहत नवगठित सरकार के पक्ष में विश्वास का वोट पारित कर दिया है। यमन की सरकारी एजेंसी के अनुसार संसद ने नई सरकार में विश्वास व्यक्त किया है और उन्हें यह निर्देश दिया है कि वे यमन में शांति स्थापना के प्रयासों में तेजी लाएं। इस लक्ष्य से विभिन्न गुटों के बीच समझौते की वार्ता का सिलसिला भी तेज कर दिया गया है।

इत्तेमाद (19 अप्रैल) के अनुसार अमेरिकी समाचारपत्र वाल स्ट्रीट जर्नल ने यह दावा किया है कि सऊदी अरब के दबाव के कारण यमन के राष्ट्रपति मंसूर हादी ने त्यागपत्र दिया था। मंसूर हादी अब रियाद में अपने घर में नजरबंद हैं और उन्हें किसी भी बाहरी व्यक्ति से संपर्क करने की अनुमति नहीं है। गौरतलब है कि यमन में गत कई वर्षों से गृहयुद्ध चल रहा है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से अभी तक वहां के राष्ट्रपति अब्दुल मंसूर हादी को ही मान्यता प्राप्त थी। मंसूर हादी गत कई वर्षों से यमन से भागकर सऊदी अरब में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सऊदी अरब के दबाव पर उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है और अपने सभी अधिकार यमन के नवगठित लीडरशिप काउंसिल के हवाले कर दिए हैं।

वाल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि मंसूर हादी से त्यागपत्र पर सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने जबरन हस्ताक्षर करवाए थे। नवगठित यमन लीडरशिप काउंसिल में यमन के आठ प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। बताया जाता है कि सऊदी सरकार ने मंसूर हादी को यह धमकी दी थी कि अगर वे अपने पद से त्यागपत्र नहीं देंगे तो उनके भ्रष्टाचार के सभी कारनामों का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। सऊदी सरकार ने उन्हें घर से बाहर निकलने और मोबाइल पर किसी से संपर्क स्थापित करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यमन को तीन बिलियन डॉलर की सहायता देने की भी घोषणा की है। गौरतलब है कि यमन में 2015 से गृहयुद्ध चल रहा है।

मस्जिद अल-अक्सा में इजरायली सेना और अरबों के बीच झड़पें

गत एक सप्ताह से ऐतिहासिक मस्जिद अल-अक्सा में नमाज अदा करने को लेकर अरबों और इजरायली सेना क बीच झड़पें चल रही हैं, जिनमें अब तक 200 से अधिक अरब घायल हो चुके हैं।

इत्तेमाद (24 अप्रैल) के अनुसार इजरायल ने गाजा पट्टी में अपनी सीमा को बंद कर दिया है। यह फैसला गाजा पट्टी से इजरायल पर किए गए रॉकेटों के हमले के बाद किया गया है। अब गाजा से व्यापारियों और मजदूरों को इजरायल में घुसने की अनुमति नहीं होगी। इजरायल ने दावा किया है कि गाजा से दक्षिणी इजरायल पर दो रॉकेट फायर किए गए थे, जिससे कुछ रिहाईशी स्थानों को नुकसान

पहुंचा। ये रॉकेट उस समय चलाए गए जब इजरायल पुलिस अल-अक्सा परिसर में फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों के साथ झड़पें कर रही थीं। इजरायल ने मस्जिद अल-अक्सा में नमाज पढ़ने पर जो प्रतिबंध लगाए थे उसका उल्लंघन करते हुए एक लाख से अधिक फिलिस्तीनियों ने मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ी।

इससे पूर्व इजरायल ने यह घोषणा की थी कि फिलिस्तीनियों को एक निर्धारित संख्या में अल-अक्सा में नमाज अदा करने की अनुमति दी जाएगी। इस घोषणा के बाद इजरायल ने अल-अक्सा मस्जिद की ओर जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया था। इजरायली सैनिकों ने जबरन फिलिस्तीनियों को मस्जिद से निकालने का प्रयास किया, जिसमं 100 से अधिक लोग जख्मी हो गए।

हमारा समाज (17 अप्रैल) के अनुसार सऊदी अरब ने यह आरोप लगाया है कि इजरायल मस्जिद अल-अक्सा में नमाज अदा करने पर पाबंदी लगाकर जानबूझकर तनाव पैदा कर रहा है। सऊदी अरब ने मस्जिद अल-अक्सा में नमाजियों के खिलाफ इजरायल की सेना द्वारा किए जा रहे ताकत के इस्तेमाल की निंदा की है और उसे अंतरराष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन बताया है। खाड़ी सहयोग परिषद ने भी आरोप लगाया है कि इजरायली सेना ने सैकड़ों नमाजियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके लाठी चार्ज के कारण सैकड़ों नमाजी जख्मी हो गए हैं। सभी अंतरराष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन करते हुए इजरायली पुलिस ने अल-अक्सा पर छापा मारा जो कि इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थान है। नमाजियों पर काबू पाने के लिए आंसू गैस और रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें कम-से-कम 200 नमाजी जख्मी हो गए।

परिषद ने यह भी आरोप लगाया है कि इजरायल ने पवित्र रमजान के मौके पर पश्चिमी किनारे पर सेना को संख्या में भारी वृद्धि की है और मस्जिद अल-अक्सा की ओर जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया है और यहूदियों को भारी संख्या में मस्जिद अल-अक्सा में दाखिल किया गया है। इससे साफ है कि इजरायल मस्जिद अल-अक्सा पर जबरन कब्जा करना चाहता है। अमेरिका ने अपील की ह कि हिंसा को बंद किया जाए और स्थिति को सामान्य बनाने के लिए कदम उठाए जाएं।

इंकलाब (21 अप्रैल) के अनुसार मलेशिया के विदेश मंत्री सैफुद्दीन अब्दुल्लाह ने संयुक्त राष्ट्र संघ और इस्लामिक सहयोग संगठन से हस्तक्षेप की मांग की है ताकि मस्जिद अल-अक्सा में फिलिस्तीनी नमाजियों के इजरायल द्वारा किए गए उत्पीड़न को रोका जा सके। संयुक्त अरब अमीरात ने अबुधाबी स्थित इजरायली राजदूत अमीर हायेक को विदेश मंत्रालय तलब करके उनसे मांग की कि मस्जिद अल-अक्सा में फिलिस्तीनी मुसलमानों के खिलाफ इजरायली सेना की कार्रवाई को तुरंत बंद किया जाए वरना इसके गंभीर परिणाम होंगे। लेबनान सरकार ने भी इजरायल से मांग की है कि वह मस्जिद अल-अक्सा से अपन सैनिकों को वापस बुलाए।

अन्य

उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के मामले में 26 गिरफ्तार

मुंबई उर्दू न्यूज (18 अप्रैल) के अनुसार उत्तर प्रदेश के फतहपुर जिले में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक गिरजाघर का घेराव करते हुए पादरियों पर आरोप लगाया कि वे जबरन धर्मांतरण कर रहे हैं। इसके बाद स्थानीय पुलिस ने 26 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें एक पादरी विजय मसीह भी शामिल है। न्यायालय ने गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को जमानत पर रिहा कर दिया है। गिरजाघर के पादरी ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि घेराव के समय 70-80 गैर ईसाई भी मौजूद थे। विश्व हिंदू परिषद से संबंधित हिमांशु दीक्षित ने आरोप लगाया है कि फतेहपुर के गिरिजाघरों में हिंदुओं को प्रलोभन देकर ईसाई बनाया जा रहा है। पुलिस ने दावा किया है कि गिरजाघर में 90 हिंदुओं का धर्मांतरण किया जा रहा था। विश्व हिंदू परिषद का यह भी दावा है कि चर्च के पादरी विजय मसीह ने यह स्वीकार किया है कि वह धोखाधड़ी और प्रलोभन देकर हिंदुओं का धर्मांतरण करवा रहा था। दीक्षित का यह भी आरोप है कि अस्पतालों में भी हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया जाता है। ■

सऊदी अरब में सिनेमा लोकप्रिय

सालार (20 अप्रैल) के अनुसार सऊदी अरब में जब से सरकार ने सिनेमा घरों पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाया है सऊदी जनता में सिनेमा दिन-प्रतिदिन लोकप्रिय हो रहा है। सऊदी अरब में कई दशकां से सिनेमाघरों पर प्रतिबंध था, क्योंकि उन्हें इस्लाम विरोधी माना जाता था। तीन वर्ष पूर्व सऊदी अरब के युवराज सलमान की उदारवादी नीति के बाद सऊदी अरब में सिनेमाघर खोलने की पहली बार अनुमति दी गई। इस समय सऊदी अरब के 20 नगरों में 56

सिनेमाघर मौजूद हैं। इन सिनेमाघरों में टिकटों की बिक्री से 30 करोड़ रियाल की आय हुई है। इन सिनेमाघरों में 1200 से अधिक फिल्में दिखाई गइं और इन फिल्मों को तीन करोड़ दर्शकों ने देखा। इन सिनेमाघरों के खुलने से 5 हजार लोगों को रोजगार मिला है।

बेंगलुरु सेंट्रल जेल में इफ्तारी का प्रबंध

सालार (17 अप्रैल) के अनुसार जमीयत उलेमा की ओर से बेंगलुरु सेंट्रल जेल में रमजान महीने में मुस्लिम कैदियों के लिए इफ्तारी का प्रबंध किया जाता है। इसके अतिरिक्त जेल में पांच वक्त को नमाज का भी प्रबंध किया गया है। जमीयत उलेमा कर्नाटक के अध्यक्ष मुफ्ती इफ्तिखार अहमद कासमी ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण पिछले दो वर्षों में वे मुस्लिम कैदियों के लिए इफ्तारी का प्रबंध नहीं कर सके थे। क्योंकि जेल प्रशासन ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी थी। उन्होंने कहा कि इस समय बेंगलुरु सेंट्रल जेल में 950 मुस्लिम कैदी हैं। इसके अतिरिक्त रामनगर, मांड्या, मैसूर, शिमोगा, बेलगांव की जिला जलों में भी इफ्तारी का प्रबंध किया गया है। जेल के अंदर क्योंकि मांस पकाने पर प्रतिबंध है इसलिए उन्हें इफ्तारी के लिए फल और शाकाहारी भोजन ही परोसा जाता है।

बांग्लादेश में छात्रों और व्यापारियों में झड़प

सियासत (20 अप्रैल) के अनुसार बांग्लादेश की राजधानी ढाका में दुकानदारों और छात्रों में हुए झड़पों के कारण कम-से-कम 50 लोग घायल हो गए, जिसमें पांच पत्रकार भी शामिल हैं। बताया जाता है कि रमजान महीने में खरीददारी के लिए छात्रों ने दुकानदारों से दामों में कटौती करने की मांग की थी, जिसे उन्होने मानने से इंकार कर दिया। इसके बाद छात्र उग्र हो गए और उन्होंने अनेक वाहनों को आग लगा दी और कुछ दुकानों को लूट लिया। पुलिस ने उग्र भीड़ को तितर बितर करने के लिए हवा में रबड़ की गोलियां चलाईं और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। 50 से अधिक छात्रों और दुकानदारों को गिरफ्तार किया गया है।

काबा में दुनिया का सबसे बड़ा साउंड सिस्टम

हमारा समाज (16 अप्रैल) के अनुसार मक्का में सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा साउंड सिस्टम लगाया है। इस सिस्टम में 7500 स्पीकर लगे हुए हैं जो कि अजान और नमाज की आवाज को प्रसारित करते हैं। मक्का के निदेशक के अनुसार इस साउंड सिस्टम की देखभाल करने के लिए 200 से अधिक इजीनियरों को नियुक्त किया गया

है। यह पूरा ऑडियो सिस्टम यूपीएस व्यवस्था से संबंधित है। इन सारे साउंड सिस्टम को एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष से नियंत्रित किया जाता है। काबा में आने वाले यात्रियों के लिए ढ़ाई सौ पंखे भी लगाए गए हैं जो कि पानी का छिड़काव करके काबा और मस्जिद-ए-नबवी के वातावरण को ठंडा रखते हैं।

RNI No. DELHIN/2017/72722

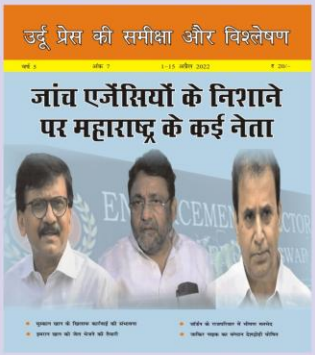

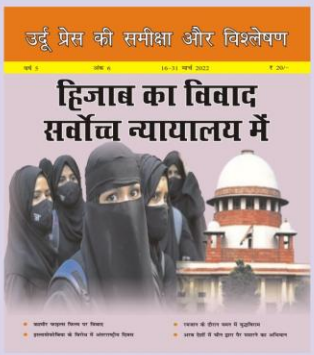

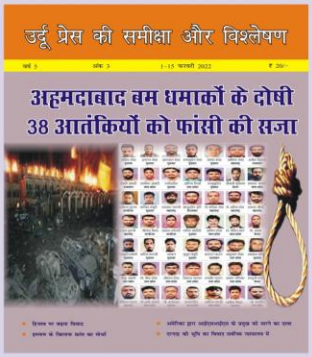

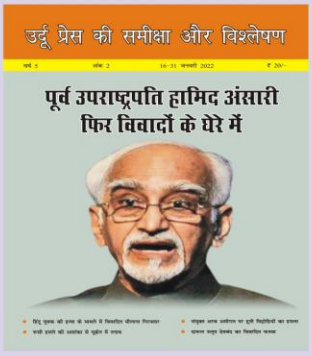

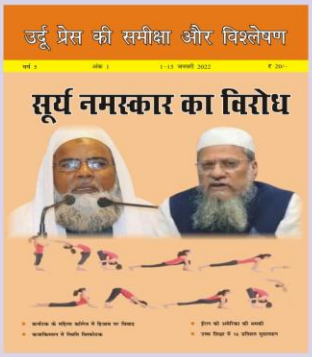

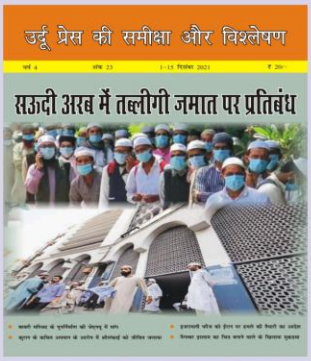

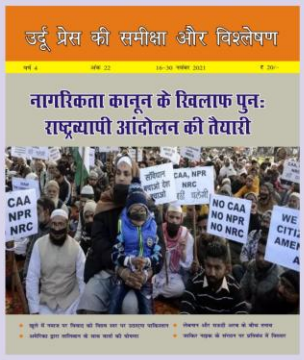

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
॥ प्रदीपयेम जगत् सर्वम् ॥
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018 • फैक्स : 011-46089365
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in